LOK SABHA SECRETARIAT

(LOK SABHA TELEVISION CHANNEL UNIT)

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the professional, experienced and resourceful tourist transport service providers for providing AC taxis for the transportation of officials/Consultants/guests of Lok Sabha Television Channel, a 24X7 Parliamentary Channel at biennial rate contract basis. Separate envelopes for technical and financial bids should reach the Office of Director (LSTV), Lok Sabha Secretariat, Room No. G-1, Parliament House Annexe, New Delhi within 21 days of publication of the advertisement. The details of the advertisement can be accessed on the website : **www.loksabha.nic.in/Tender**

DIRECTOR (LSTV)
LOK SABHA SECRETARIAT

लोक सभा सचिवालय
(लोकसभा टेलीविजन चैनल एकक)
निविदा सूचना

लोक सभा टेलीविजन चैनल, जो कि एक 24X7 संसदीय चैनल है, के अधिकारियों/परामर्शदाताओं/अतिथियों के आवागमन हेतु ए.सी. टैक्सियॉ उपलब्ध कराने के लिये पेशेवर, अनुभवी और साधन सम्पन्न पर्यटक परिवहन सेवा प्रदाताओं से द्विवर्षी दर ठेका आधार पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । तकनीकी और वित्तीय निविदाओं के लिए अलग–अलग लिफाफे विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिन के भीतर निदेशक (एल.एस.टी.वी.) कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. जी–1, संसदीय सौंध, नई दिल्ली में पहुंच जाने चाहिए । विज्ञापन का ब्यौरा **www.loksabha.nic.in/Tender** वेबसाइट पर देखा जा सकता है ।

निदेशक (एलएसटीवी)
लोक सभा सचिवालय

LOK SABHA SECRETARIAT
(LOK SABHA TELEVISION UNIT)

FB-146, PARLIAMENT LIBRARY BUILDING, NEW DELHI – 110 001.

TENDER NOTICE FOR HIRING OF VEHICLES FOR LOK SABHA TELEVISION, NEW DELHI

Sealed tenders are invited from interested, experienced and resourceful tourist transport service providers for hiring of AC taxis/buses for the transportation of officials/consultants/guests of LSTV Channel for a period of two years on daily basis from reputed taxi/ tour operators, hereinafter referred to as "Agency", who fulfill the following criteria:

(a) The Agency should have Permanent Account Number (PAN) under Income Tax Act, 1961. Copy of the PAN card should be enclosed with the technical bid.

(b) The Agency should be a registered tour and taxi operator having Service Tax, Registration No. and have provided similar service to at least two Government Organizations/ PSUs/ MNCs/ Embassies of value of Rs. 75 lacs or above per annum to each of them during the financial year 2014-2015 or 2015-2016. Names and addresses of such organizations should be given with the technical bid.

(c) The Agency should not have been blacklisted by any government organization/ PSU in the past. An undertaking in this regard should be submitted with the technical bid.

(d) The agency should own a fleet of atleast 20 hatch back/sedan cars or equivalent (AC & Non-AC) and 10 bigger SUV vehicles viz Innova/Travera. The vehicles should be in excellent condition and not be more than three years old. The agency should also be able to make available buses for the audiences of LSTV Channel whenever, required.

B. SUBMISSION OF BIDS

2. The Agencies should submit their bids in two parts, one containing the **Technical Bid** and the other the **Financial Bid.** Technical Bid and Financial Bid should be placed in separate sealed covers superscribed accordingly. The sealed covers containing Technical and Financial bids should be placed inside a large sealed cover superscribed **"Tender for Hiring of Vehicles for LSTV Channel"** along with contact details. The tender should be addressed to **Director (LSTV), Lok Sabha Secretariat, Room No. G-1, Parliament House Annexe, New Delhi-110001** and may be dropped in the drop box at the reception of Parliament Library Building, Opposite Gurudwara Rakabganj, New Delhi-110001 by 5:00 p.m on or before 20th March 2017 or may be sent by courier/ registered/ speed post so as to reach the above said addressee by 5:00 p.m on or before 20th March, 2017.

3. The technical bid should be accompanied by earnest money deposit of Rs.1.5 Lakh in the form of demand draft drawn in favour of Drawing & Disbursing Officer, Lok Sabha payable at New Delhi on which no interest will be paid. Earnest money of an Agency will be forfeited if it refuses to take up the job or fails to furnish performance security on its selection for the job; or if the information given by it is found to be false; or it withdraws the bid during the validity period of the bid. Earnest money of the unsuccessful bidders will be returned after completion of the tender process but earnest money of the successful bidder will be returned only after the bidder deposits performance security.

4. **Technical Bid** should be given in the proforma attached as **Annexure-I** and **Financial Bid** in the proforma attached as **Annexure II**. Details of vehicles owned by the agency should be mentioned in the specified column of Annexure I. It may be ensured that there is no overwriting or correction or cutting in the bid and each page of the technical bid as well as financial bid is signed by an authorized representative of the Agency. The rates quoted should be inclusive of all expenses such as fuel, maintenance, repair and servicing, salary of drivers etc. but excluding service tax. Rates so quoted will be valid for 180 days from the date of opening of the financial bids. The successful bidder shall keep such charges unchanged for a further period of two years from the date of the agreement signed with Lok Sabha Secretariat.

5. Tables given in Annexure II indicate the various variants of the vehicles for which the agencies are required to quote the rates. The agency whose tender is accepted will be allowed to supply vehicles of higher variant subject, however, to the condition that the agency would have to supply such vehicles at the rates quoted by it for the variants indicated in the **Annexure II** and fulfillment of all other conditions.

C. OPENING OF BIDS

6. Technical Bids will be opened at 1500 hrs. on 21st March, 2017 at the office of **Director (LSTV), Lok Sabha Secretariat, Room No. G-1, Parliament House Annexe, New Delhi-110001**, in the presence of the bidders or representatives thereof, if any. Financial Bids of only such bidders will be opened who are found eligible in Technical Bid. Time and date of opening of the Financial Bids will be informed to the agencies which are found eligible in the technical bid.

D. REJECTION OF BIDS

7. Canvassing by an Agency in any form, unsolicited letters and post tender corrections may invoke summary rejection of its bid with forfeiture of EMD. Lok Sabha Secretariat reserves the right to reject any or all tenders without giving any notice or assigning any reason.

E. PERFORMANCE SECURITY

8. The Agency whose tender is accepted shall deposit an amount of Rs. 05 lakh (Five lakhs only) in the form of Account Payee Demand Draft on Bank Guarantee from a Nationalized Bank in favour of Drawing & Disbursing Officer, Lok Sabha as Performance security to be deposited within 7 days of receipt of letter of award of Tender. No interest shall be paid on the performance security. Performance Security will be retained by LSTV for the period of contract and till sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations.

F. GENERAL CONDITIONS

9. The duty point would be at Iron Gate No.01, Parliament Library Building (PLB) reception opposite Gurudwara Rakabganj; or roundabout near Tango-I, Parliament House Annexe (Hanuman Mandir) or Tango-II near Parliament House Annexe reception or any other place intimated from time to time. The mileage and time for vehicles shall be calculated from the duty point of the vehicles.

10. LSTV is 24X7channel which requires vehicles round the clock. The Agency shall ensure that vehicles are made available to the channel at any time as per its need.

11. The drivers of the vehicles deployed should follow traffic rules and other regulations prescribed by the Govt. from time to time. Drivers should be familiar with all important places and routes in Delhi, New Delhi and NCR and hold valid driving license for driving taxis, tempo travellers, mini buses, buses as the case may be. Tampering with vehicle usage timings/Kms, overwriting of summary/ log sheet and misbehaviour of drivers shall be viewed seriously, leading even to cancellation of contract and action as per law.

12. **The agency shall be fully responsible for ensuring the safety and security of female employees during the course of pick up and drop of and any complaints in this regard displaying gender insensitivity in any manner by the drivers, shall make it liable for penal/police action as per law of the land. The agency must ensure the same before responding to tender notice.**

13. The Agency shall ensure that all necessary documents (Registration certificate, Insurance papers, PUC, etc.) are available with the drivers, and that the drivers are well mannered and neatly dressed in uniform. The drivers should always carry a mobile phone with them to facilitate quick contact. The names and full addresses with mobile numbers of the drivers, who will attend the duty, shall be furnished to Lok Sabha Secretariat as and when deployed.

14. The Agency shall be responsible for fulfilling all statutory obligations under various laws and Acts, like the Minimum Wages Act, the EPF Act, the ESI Act, The Bonus Act, the Service Tax Act, Motor Vehicles Act/ Motor Vehicles Rules etc. and any other statutory requirements as applicable to the Government of NCT of Delhi/ Government of India and the rules/ regulations as amended from time to time. Lok Sabha Secretariat will have no responsibility and will in no way be liable towards taxes, fees, penalties, cost of fuel, payment of salary to the drivers, maintenance etc. or any other charges payable except the contract price, parking charges and toll tax, if any. Consumables like lubricants, tyres, battery and repair, maintenance, taxes, insurance etc. shall be the responsibility of the Agency.

15. The interior of the cars should preferably have white/ beige upholstery. Sanitation and cleanliness of the vehicles shall at all times be maintained by the Agency to the satisfaction of Lok Sabha Secretariat.

16. The Agency should have enough resources to repair their vehicles in minimum possible time when required. They should be in a position to substitute/ replace or arrange extra vehicles at a very short notice.

17. The vehicles should be insured comprehensively and should have necessary permits from the Transport Department/ Authority. The Lok Sabha Secretariat will not be responsible for any challan, loss, damage and accident to the vehicle or to any other vehicle or injury.

18. The rates should be quoted inclusive of all expenses such as fuel, taxes, maintenance, repair and servicing, salary of drivers etc. but excluding service tax. Lok Sabha Secretariat will not be responsible and will in no way be liable towards fees, penalties, cost of fuel, payment of salary to the drivers, maintenance etc or any other charges payable except the contract price plus service tax.

19. Vehicles provided should have necessary permit to travel in Delhi/NCR. Other States' entry tax will be reimbursable on submission of valid receipt alongwith monthly bill.

20. The Agency shall install GPS in all the vehicles provided to the Lok Sabha Secretariat and GPS data will be made available as and when required by it.

21. All the vehicles should be provided with duty slips/ log books. Vehicle engaged for duty should be certified by the users indicating clearly the kilometers reading and time of arrival for duty and end of duty on duty slip/ log books and the drivers should be able to maintain the same independently.

22. In case of breakdown of any vehicle, the Agency shall replace the vehicle within an hour of breakdown failing which Lok Sabha Secretariat will hire vehicle from any other source (s) as per penalty clause.

23. Dedicated vehicles and drivers with proven integrity and police verified antecedents must be provided in view of security considerations. Any change of a vehicle or a driver will be allowed only in exceptional circumstances and that too with prior approval of Lok Sabha Secretariat. If a driver is found incompetent or indisciplined by Lok Sabha Secretariat, the Agency shall replace him immediately by a competent and disciplined driver.

24. The vehicles should be equipped with first aid box and fire extinguisher.

25. No price increase will be accepted by Lok Sabha Secretariat during the currency of the Contract period.

26. The successful bidder will be required to provide requisite number of vehicles as specified in part “A” of Annexure II from the next day of signing of agreement.

27. The Agency shall indemnify the Lok Sabha Secretariat against all damages/ charges for which the Government/ Department may be held liable or pay on account of the negligence of the Agency or his staff or any person under his control whether in respect of accident/ injury to any person or damages to the property of any member of the public or in executing the work or otherwise and against all claims and demands thereof. The Office shall not be responsible financially or otherwise for any injury to the driver or person deployed by the Agency during the course of performing duties.

G. TERMS OF PAYMENT

28. Payment to the Agency will be made on monthly basis on receipt of “Pre-receipted Bill” supported by duty slips/ log books duly signed by the users of the vehicles or authorized signatories of Lok Sabha Secretariat. The Agency will submit monthly bills in triplicate by the 5th of the following month. Claims towards toll tax/ parking charges should be supported by toll tax/ parking bills and should be submitted along with the bills. Toll tax/state tax/parking charges, receipt should match with relevant duty slip/log book. Payment in normal circumstances will be released within 25 days of submission of the bill. TDS shall be deducted as per the Income Tax Act, 1961.

H. PENALTY

29. A penalty of Rs. 2000/- per day per vehicle will be levied if any vehicle fails to meet the terms and conditions on any day or if the services of the transporter are not found satisfactory. If the agency fails to provide vehicles as per terms and conditions of the contract, Lok Sabha Secretariat will hire the vehicles from any other source, payment for which would be charged from the Agency and a penalty of Rs. 1500/- per day per vehicle would be levied on the Agency.

I. TERMINATION OF CONTRACT

30. Both the parties to the contract shall have a right to terminate the contract at any time without assigning any reason by giving a prior notice of 60 days. However, if the performance of the Agency is not found satisfactory at any stage, the contract may be terminated by Lok Sabha Secretariat without any notice.

J .ARBITRATION

31. All the disputes and differences arising out or in any way touching or concerning the Services shall be referred to the sole arbitrator appointed by the Secretary General, Lok Sabha. The Courts of Delhi alone will have jurisdiction in the matter of arbitration. There will be no objection that the person so appointed is or was in the employment of the Lok Sabha or during the course of his duties, had expressed views on all or any of the matter of difference or dispute. The arbitration proceeding shall be held in Delhi.

32. The Lok Sabha Secretariat reserves the right to amend/withdraw/cancel the Tender Notice at any stage of the process at its sole discretion and without assigning any reason.

33. The successful bidder shall enter into an agreement with Lok Sabha Secretariat within 15 days from the date of receipt of letter of award of tender.

34. The Vendor/successful bidder shall not subcontract the hiring of Vehicles/Providing vehicles under this contract to Lok Sabha Secretariat.

Director(LSTV)
Lok Sabha Secretariat

Annexure – I

HIRING OF VEHICLES

Technical Bid

To be filled in by the Bidder (enclose copy of documents to support your statement)

Sl. No.	Description
1.	Name of the Agency
2.	Postal address of the Agency
3.	Details of the contact person (a) Name (b) Telephone No (c) Mobile No (d) Fax No (e) E-mail ID
4.	Location of the Garage
5.	Is the Agency Registered : (Attach photocopy of the document for proof) -- Tick as applicable Recognized by Govt. of India as Tourist Transporter Operator Recognized under Shops and Establishment Act Recognized as firm Proprietorship/ Any other category (please specify)
6.	Income Tax Permanent Account Number (PAN) : (Attach Proof)
7.	Service Tax Registration Number : (Attach Proof)
8.	Details of the Organization to which the Agency provided similar service (Please attach documentary proof)

Sl. No.	Name, Address and contact number	Period during which the Service was provided	Value of Service provided (in Rupees)	Remarks, if any
(a)		2014-15 2015-16		
(b)		2014-15 2015-16		
(c)		2014-15 2015-16		

9. Details of the Vehicles owned by the Agency (see para 4 of tender notice)

Sl. No.	**Vehicle Registration No**	**Category (Hatchback/Sedan/SUV/Bus)**	**Make**	**Model**	**Insurance**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

10. Details of Earnest money

(a) Name of the bank :

(b) Demand Draft No :

(c) Value of the Demand Draft :

(d) Demand Draft drawn in favour of :

11. Copies of RC Book, insurance, drivers License etc. of the vehicle mentioned above are enclosed.

It is certified that :-

(i) That I/ we have gone through and understood the tender notice.
(ii) That my agency has not been blacklisted by any Government organization/ PSUs.
(iii) The details furnished by me/ us are true and correct.
(iv) That I/ we have not concealed any material fact.

Signature of the authorized signatory

Annexure-II

HIRING OF VEHICLES

FINANCIAL BID

Name of the Agency :

Address :

A. FOR HIRING ON DAILY BASIS WITHIN NCR REGION CONSISTING OF DELHI, GHAZIABAD, NOIDA, GREATER NOIDA, GURGAON, MANESAR AND FARIDABAD

Sl. No.	Type of Vehicles	Rate 08 Hours/ 80 Kms.	Rate 10 Hours/ 100 Kms.	Extra Hour (per hr.)	Extra Km. (per Km.)	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hatchback cars viz. Indica/Wagon-R/Etios					
2.	Sedan cars like SX4/Dzire(VXI/VDI)//Etios(V/VD)/ Honda Amaze (S)					
3.	SUV viz. Innova (G)/Travera, etc.					
4.	Bus (2x2)/Mini Coach/Tempo Traveller					

B. FOR HIRING ON DAILY BASIS FOR OUTSTATION TRAVEL OTHER THAN PLACES GIVEN UNDER "A" ABOVE.

Sl. No.	Type of Vehicles	Rates for out-station use (for 200 Kms) (exclud-ing taxes)	Rates per Kilo-meter beyond 200 Kms	Driver allowance, etc. if any	Other allowance, if any.	Remarks,if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hatchback cars viz. Indica/ Wagon-R/Etios					
2.	Sedan cars viz SX4/Dzire(VXI/VDI)//Etios(V/VD)/ Honda Amaze (S)/CIAZ					
3.	SUV viz. Innova (G)/Travera, etc.					
4.	Bus (2x2)/Mini Coach/Tempo Traveller					

It is certified that while quoting the rates terms and conditions given in the tender notice in general and the following points in particular have been kept in view :-

(a) The duty point would be Gate No.---- PLB (Opposite Gurudwara Rakabjang) or Parliament House/ Parliament House Annexe; or any other place intimated from time to time and mileage and time would be calculated from the duty point where the car/ bus/mini bus/ tempo traveller is deployed with the officer/ division.

(b) Rates quoted do not include service tax.

Signature of the Authorized Signatory of the Agency

Name of the Signatory --------------------------------------

Designation/Position held by the Signatory;

लोक सभा सचिवालय
(लोक सभा टेलीविज़न एकक)
प्रथम बेसमेंट-146, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-110001
लोक सभा टेलीविज़न, नई दिल्ली हेतु वाहन किराए पर लेने के लिए निविदा सूचना

प्रतिष्ठित टैक्सी/टूर ऑपरेटर, जिन्हें इसके बाद एजेंसी कहा जाएगा और जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों, से दैनिक आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए एलएसटीवी के अधिकारियों/परामर्शदाताओं/अतिथियों के परिवहन हेतु एसी टैक्सियों/बसों को किराए पर लेने हेतु इच्छुक, अनुभवी और साधन सम्पन्न टूरिस्ट परिवहन सेवा प्रदाताओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

(क) एजेंसी के पास आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए । पैन कार्ड की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जाए ।

(ख) एजेंसी को एक पंजीकृत टूर और टैक्सी ऑपरेटर होना चाहिए, जिसके पास सेवा कर और पंजीकरण संख्या हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2014-15 अथवा 2015-16 के दौरान प्रति वर्ष 75 लाख रुपये अथवा अधिक मूल्य पर कम से कम दो सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/दूतावासों को ऐसी सेवा प्रदान की हो । ऐसे संगठनों का नाम और पता तकनीकी बोली के साथ दिया जाए ।

(ग) एजेंसी को विगत में किसी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में न डाला गया हो । तकनीकी बोली के साथ इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(घ) एजेंसी के पास कम से कम 20 हैचबैक/सेडान कारें अथवा इसी प्रकार की कारें (एसी/नॉन एसी) और 10 बड़े एसयूवी वाहन अर्थात् इनोवा/टवेरा होने चाहिए । वाहन उत्तम स्थिति में हों और तीन वर्ष से अधिक पुराने न हों । आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी के पास एलएसटीवी चैनल के दर्शकों के लिए बसें उपलब्ध कराने की भी क्षमता हो ।

ख. बोलियां प्रस्तुत किया जाना

2. एजेंसियां अपनी बोलियां दो भागों में प्रस्तुत करें जिसमें पहले भाग में **तकनीकी बोली** हो और दूसरे भाग में **वित्तीय बोली** हो । तकनीक बोली और वित्तीय बोली को अलग-अलग

सीलबंद लिफाफों में रखा जाए और तदनुसार, उस पर लिखा जाना चाहिए । तकनीकी और वित्तीय बोलियों वाले सीलबंद लिफाफों को एक बड़े सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, जिस पर विस्तृत पत्ते के साथ ही **"एलएसटीवी चैनल के लिए वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा** लिखा हो । निविदा को **निदेशक (एलएसटीवी) लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. जी-1, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001** को संबोधित किया जाए और उसे 20 मार्च, 2017 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले, संसदीय ज्ञानपीठ के स्वागत कक्ष, गुरूद्वारा रकाब गंज के सामने, नई दिल्ली-110001 पर उपलब्ध ड्रॉप बॉक्स में डाला जाए अथवा कुरियर/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से भेजा जाए, ताकि वह 20 मार्च, 2017 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले उपरोक्त पते पर पहुंच जाए ।

3. तकनीकी बोली के साथ, बयाना राशि के रूप में **आहरण और संवितरण अधिकारी, लोक सभा, नई दिल्ली** को देय 1.5 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाए, जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । यदि एजेंसी, इस कार्य हेतु उसका चयन होने के पश्चात् कार्य करने से मना करती है अथवा कार्य निष्पादन संबंधी प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहती है; अथवा उसके द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है; अथवा वह बोली की वैधता अवधि के दौरान बोली वापस ले लेती है, तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी । निविदा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि लौटा दी जाएगी परंतु सफल बोलीदाता की बयाना राशि बोलीदाता द्वारा कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिभूति जमा किए जाने के बाद ही लौटाई जाएगी ।

4. **तकनीकी बोली अनुबंध-1** के रूप में संलग्न प्रपत्र और **वित्तीय बोली अनुबंध-2** के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए । एजेंसी के पास वाहनों के ब्यौरे का अनुबंध-1 के विहित कॉलम में उल्लेख किया जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि बोली में कोई उपरिलेखन (ओवर्राइटिंग) अथवा शुद्धि अथवा कांट-छांट न हो और एजेंसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करे । उद्धृत दरों में सेवा कर को छोड़कर, ईंधन, रख-रखाव, मरम्मत और सर्विसिंग, चालकों का वेतन आदि जैसे सभी खर्चे शामिल किए जाएं । उद्धृत दरें वित्तीय बोलियों को खोलने की तिथि से 180 दिनों तक वैध होंगी । सफल बोलीदाता, लोक सभा सचिवालय के साथ समझौते पर हसताक्षर किए जाने की तिथि से अगले दो वर्षों की अवधि तक ऐसे प्रभारों में कोई बदलाव नहीं करेंगे ।

5. अनुबंध-2 में दी गई तालिकाओं में वाहनों की विभिन्न श्रेणियां दी गई हैं जिनके संबंध में एजेंसियों को दरें उद्धृत करनी हैं । जिस एजेंसी की निविदा स्वीकार की जाएगी, उसे इस शर्त पर उच्च श्रेणी का वाहन उपलब्ध कराने की अनुमति होगी कि उसे अनुबंध-दो में दर्शाई

गई श्रेणी के लिए उद्धृत दरों पर ही ऐसा वाहन उपलब्ध कराना होगा और अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी ।

ग. बोलियों का खोला जाना

6. तकनीकी बोलियों को बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, की उपस्थिति में निदेशक (एलएसटीवी), लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. जी-1, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में 21 मार्च, 2017 को 1500 बजे खोला जाएगा । केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा, जो तकनीकी बोली में पात्र पाए जाएंगे । तकनीकी बोली में पात्र पाई जाने वाली एजेंसियों को वित्तीय बोलियों को खोलने के समय और तिथि की सूचना दे दी जाएगी ।

घ. बोलियों को अस्वीकार किया जाना

7. किसी एजेंसी द्वारा किसी भी रूप में पक्ष प्रचार किए जाने, अवांछित पत्र भेजे जाने और निविदा के बाद शुद्धियां किए जाने पर बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी । लोक सभा सचिवालय के पास बिना कोई सूचना दिए अथवा कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है ।

ड. कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिभूति

8. जिस एजेंसी की निविदा स्वीकार की जाएगी, उसे आहरण और संवितरण अधिकारी, लोक सभा सचिवालय के पक्ष में संबंधी खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी के रूप में 05 लाख रुपये की धनराशि जमा करानी होगी, क्योंकि कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिभूति निविदा प्रदान किए जाने के पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जमा की जानी है । कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । एलएसटीवी द्वारा कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिभूति, अनुबंध की अवधि के लिए और संविदागत सभी दायित्वों को पूरा करने की तिथि से साठ दिनों तक रोक कर रखी जाएगी ।

च. सामान्य शर्तें

9. कार्यस्थल, लौह द्वार सं. 1, संसदीय ज्ञानपीठ, स्वागत कक्ष, गुरूद्वारा रकाब गंज के सामने; अथवा टैंगो-1 के निकट गोल चक्कर, संसदीय सौध (हनुमान मंदिर) अथवा संसदीय सौध स्वागत कक्ष के निकट टैंगो-दो अथवा समय-समय पर सूचित कोई अन्य स्थान होगा । मील दूरी (माइलेज) और वाहनों के लिए समय की गणना वाहन के कार्यस्थल से की जाएगी ।

10. एलएसटीवी एक 24 x 7 चैनल है, जिसके लिए हर समय वाहन की आवश्यकता होती है । एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकता होने पर किसी भी समय चैनल को वाहन उपलब्ध हों ।

11 तैनात किए गए चालकों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों और अन्य विनियमों का पालन करना होगा । चालकों को दिल्ली, नई दिल्ली और रा.रा.क्षे. में सभी महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों की जानकारी होनी चाहिए और उनके पास यथास्थिति टैक्सी, टेम्पो, ट्रेवलर, मिनी बस, बस चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए । वाहन उपयोग के समय/किमी. के साथ छेड़छाड़, सार/लॉग शीट में ओवर्राइटिंग और चालकों द्वारा दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध को निरस्त तथा कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

12. एजेंसी, महिला कर्मचारियों को लाने और ले जाने के दौरान उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी और चालकों द्वारा महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार से असंवेदनशीलता दर्शाए जाने की कोई शिकायत प्राप्त होने पर देश के कानून के अनुसार उनके विरूद्ध दंडात्मक/पुलिस कार्यवाही की जा सकती है । एजेंसी को निविदा सूचना पर कार्यवाही करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए ।

13. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालकों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि) उपलब्ध हों और यह कि चालक अच्छा व्यवहार करें तथा साफ-सुथरी वर्दी पहने । चालक को हमेशा अपने पास एक मोबाइल फोन रखना होगा, ताकि उससे शीघ्र संपर्क किया जा सके । एजेंसी चालकों की तैनाती के समय, लोक सभा सचिवालय को चालकों के नाम और मोबाइल फोन नं. सहित उनका पूरा पता उपलब्ध कराएगी ।

14. एजेंसी विभिन्न कानूनों और अधिनियमों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बोनस अधिनियम, सेवा कर अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम/मोटर वाहन नियमावली इत्यादि के अंतर्गत सभी सांविधिक दायित्वों और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार/भारत सरकार पर लागू अन्य किसी भी सांविधिक आवश्यकताओं और समय - समय पर यथा संशोधित नियमों/विनियमों का पालन करने हेतु जिम्मेदार होगी । लोक सभा सचिवालय की संविदा मूल्य, पार्किंग प्रभारों और टोल टैक्स, यदि कोई हो, के अलावा करों, शुल्कों, जुर्मानों, ईंधन की कीमत, वाहन चालकों को वेतन का भुगतान, रखरखाव आदि की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस बारे में कोई उत्तरदायित्व होगा । उपभोज्य वस्तुओं जैसे स्नेहकों, टायरों, बैटरी और मरम्मत, रखरखाव, करों, बीमा आदि की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी ।

15. कारों की आंतरिक साजसज्जा अधिमानतः सफ़ेद/भदमैले (बेश्ज) रंग की होनी चाहिए । एजेंसी द्वारा हर बार वाहनों की स्वच्छता और साफ - सफाई का रखरखाव लोक सभा सचिवालय की संतुष्टि के अनुरूप किया जाएगा ।

16. एजेंसी के पास आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम समय में उनके वाहनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए । उनके पास बहुत कम समय में वाहन बदलने अथवा अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का प्रबंध होना चाहिए ।

17. वाहनों का व्यापक बीमा होना चाहिए और परिवहन विभाग/प्राधिकरण से सभी आवश्यक परमिट प्राप्त होने चाहिए । लोक सभा सचिवालय वाहन के अथवा अन्य किसी वाहन के चालान, क्षति, हानि और दुर्घटना अथवा चोट हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

18. दरों का उल्लेख सेवा कर को छोड़कर ईंधन, करों, रखरखाव, मरम्मत और सर्विसिंग, वाहन चालकों का वेतन इत्यादि जैसे सभी व्ययों को शामिल करते हुए किया जाना चाहिए । लोक सभा सचिवालय की संविदा मूल्य और सेवाकर को छोड़कर शुल्कों, जुर्मानों, ईंधन की कीमत, वाहन चालकों को वेतन का भुगतान, रखरखाव इत्यादि अथवा

अन्य किसी भी देय प्रभारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस बारे में कोई उत्तरदायित्व होगा ।

19. उपलब्ध कराए गए वाहनों के पास दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रा करने का आवश्यक परमिट होना चाहिए । अन्य राज्यों के प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति मासिक बिल के साथ वैध रसीद प्रस्तुत करने पर की जाएगी ।

20. एजेंसी लोक सभा सचिवालय को उपलब्ध कराए गए सभी वाहनों में जी पी एस लगाएगी और इसके द्वारा मांगे जाने पर जीपीएस डाटा उपलब्ध कराएगी ।

21. सभी वाहनों में ड्यूटी पर्चियाँ/लॉग बुक होनी चाहिए । कार्य हेतु उपयोग में लाए गए वाहनों को उपयोगकर्ता द्वारा ड्यूटी पर्ची/लॉग बुक में कार्य हेतु आने और कार्य की समाप्ति के पश्चात् जाने के समय का स्पष्ट रूप से किलोमीटर अंकित करते हुए प्रमाणित किया जाएगा और वाहन चालकों को इस प्रक्रिया को स्वयं संचालित करने योग्य होना चाहिए ।

22. किसी वाहन के खराब होने की दशा में एजेंसी खराबी के एक घंटे के भीतर दूसरा वाहन उपलब्ध कराएगी जिसमें असफल रहने की स्थिति में लोक सभा सचिवालय जुर्माना खंड के अनुरूप अन्य किसी स्रोत से किराये पर वाहन लेगा ।

23. सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणित सत्यनिष्ठा और पुलिस द्वारा सत्यापित पूर्ववृत्त वाले समर्पित वाहन और चालक ही उपलब्ध कराएं जाने होंगे । किसी वाहन अथवा चालक को बदलने की अनुमति केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही होगी और ऐसा बदलाव लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है । यदि लोक सभा सचिवालय द्वारा किसी वाहन चालक को अक्षम अथवा अनुशासनहीन पाया जाता है तो एजेंसी तत्काल ही उसके स्थान पर एक सक्षम और अनुशासित वाहन चालक को नियुक्त करेगी ।

24. वाहनों को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशामक यंत्र से सज्जित होना चाहिए ।

25. संविदा की अवधि के दौरान लोक सभा सचिवालय द्वारा किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

26. सफल बोलीदाता को समझौते पर हस्ताक्षर होने के अगले दिन से संलग्नक दो के भाग - 'क' में यथा विनिर्दिष्ट वाहन अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराने होंगे ।

27. एजेंसी ऐसी सभी क्षतियों/प्रभारों के लिए लोक सभा सचिवालय को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी जिनके लिए एजेंसी अथवा उसके कर्मचारी अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी भी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से सरकार/विभाग को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है अथवा उन्हें भुगतान करना पड़े चाहे इसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना/क्षति से हो अथवा किसी आम व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान से हो अथवा कार्य निष्पादित करने अथवा अन्यथा और सभी प्रकार के दावों और उनसे जुड़ी मांगों से हो । यह कार्यालय एजेंसी द्वारा तैनात वाहन चालक अथवा अन्य किसी व्यक्ति को कार्य निष्पादित करते समय किसी प्रकार की चोट हेतु वित्तीय अथवा अन्यथा हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

छः भुगतान की शर्तें

28. एजेंसी को वाहनों के उपयोगकर्ताओं अथवा लोक सभा सचिवालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित ड्यूटी पर्चियों/लॉग बुक द्वारा समर्थित 'पूर्व - रसीदी बिल' के प्राप्त होने पर मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा । एजेंसी आने वाले महीने की पाँच तारीख तक मासिक बिलों की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगी । टोल टैक्स/पार्किंग प्रभारों से संबंधित दावों के साथ टोल टैक्स/पार्किंग बिल लगाए जाने चाहिए और इन्हें बिलों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । टोल टैक्स/राज्य कर/पार्किंग प्रभारों की रसीद का मिलान संबंधित ड्यूटी पर्ची/लॉग बुक के साथ होना चाहिए । सामान्य परिस्थितियों में बिल प्रस्तुत करने के 25 दिनों के भीतर भुगतान जारी कर दिया जाएगा । आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्रोत पर कर - कटौती (टीडीएस) की जाएगी ।

ज. जुर्माना

29. यदि कोई वाहन किसी दिन निबंधनों और शर्तों पर खरा नहीं उतरता है अथवा यदि ट्रांसपोर्टर की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी जाती हैं तो प्रति दिन प्रति वाहन 2000/- रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा । यदि एजेंसी संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोक सभा सचिवालय किसी अन्य स्रोत से किराए पर वाहन प्राप्त करेगा, इसका भुगतान एजेंसी से प्रभारित किया जाएगा और एजेंसी पर प्रति दिन प्रति वाहन 1500/- रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।

झ. संविदा की समाप्ति

30. संविदा के दोनों पक्षों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए 60 दिनों की पूर्व सूचना देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा । तथापि, यदि एजेंसी का कार्य - निष्पादन किसी भी चरण में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो लोक सभा सचिवालय द्वारा बिना किसी सूचना के संविदा को समाप्त किया जा सकता है ।

ञ. माध्यस्थम्

31. सेवाओं से संबंधित अथवा उनके बारे में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को महासचिव, लोक सभा द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा । मध्यस्थता के मामले में न्यायाधिकर क्षेत्र केवल दिल्ली के न्यायालयों में ही होगा । इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति लोक सभा में कार्यरत है अथवा कार्यरत था अथवा अपने कार्य के दौरान मतभेद अथवा विवाद के सभी अथवा किसी मामले पर विचार व्यक्त किए हैं । मध्यस्थता की कार्यवाही दिल्ली में की जाएगी ।

32. लोक सभा सचिवालय के पास अपने विवेक से प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए निविदा सूचना को संशोधित करने/वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार है ।

33. सफल बोलीदाता निविदा प्रदान करने के पत्र की प्राप्ति की तिथि के 15 दिन के भीतर लोक सभा सचिवालय के साथ एक समझौता करेगा ।

34. वेंडर/सफल बोलीदाता लोक सभा सचिवालय के साथ इस संविदा के अंतर्गत वाहनों को किराये पर देने/वाहनों को उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उप-संविदा नहीं करेगा ।

निदेशक लोक सभा टेलीविज़न (एलएसटीवी)
लोक सभा सचिवालय

संलग्नक - एक

वाहनों को किराए पर लेना

तकनीकी बोली

बोलीदाता द्वारा भरा जाए (अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)

क्र. सं.	विवरण
1.	एजेंसी का नाम
2.	एजेंसी का डाक पता
3.	संपर्क व्यक्ति का विवरण (क) नाम (ख) दूरभाष सं. (ग) मोबाइल सं. (घ) फ़ैक्स सं. (ड़) ई - मेल आई डी
4.	गैरज का स्थान
5.	क्या एजेंसी पंजीकृत है : (प्रमाण के लिए दस्तावेज़ की प्रति संलग्न करें) -- लागू होने पर निशान लगायें भारत सरकार द्वारा पर्यटक परिवहन संचालक के रूप में मान्यता प्राप्त दुकानदार और संस्थान अधिनियम, 1954 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त फर्म के रूप में मान्यता प्राप्त स्वामित्व/कोई अन्य श्रेणी (कृपया उल्लेख करें)
6.	आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) : (प्रमाण संलग्न करें)
7.	सेवा कर पंजीकरण संख्या : (प्रमाण संलग्न करें)
8.	उस संगठन का विवरण जिसे एजेंसी ने ऐसी ही सेवा प्रदान की है (कृपया दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)

क्रं.सं.	नाम, पता और संपर्क दूरभाष संख्या	सेवा प्रदान करने की अवधि	प्रदान की गई सेवा का मूल्य (रु. में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
(क)		2014-15 2015-16		
(ख)		2014-15 2015-16		
(ग)		2014-15 2015-16		

9. एजेंसी के स्वामित्व वाले वाहनों का विवरण (निविदा सूचना के पैरा 4 को देखे)

क्रं.सं.	वाहन पंजीकरण सं.	श्रेणी (हैचबैक/सेडान/ एसयूवी/बस)	मेक	मॉडल	बीमा
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

10. अग्रिम धनराशि का विवरण

(क) बैंक का नाम :

(ख) डिमांड ड्राफ्ट सं. :

(ग) डिमांड ड्राफ्ट का मूल्य :

(घ) डिमांड ड्राफ्ट किसके पक्ष में बना है :

11. उपर्युक्त वाहनों की आर सी बुक, बीमा, वाहन, चालकों का लाइसेंस इत्यादि की प्रतियां संलग्न है ।

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(क) मैंने/हमने निविदा सूचना का अध्ययन किया है और उसे समझ लिया है ।

(ख) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रम द्वारा मेरी एजेंसी को काली सूची में नहीं रखा गया है ।

(ग) मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्य और सही हैं ।

(घ) मैंने/हमने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं है ।

संलग्नक-दो

वाहनों को किराये पर लेना
वित्तीय बोली

एजेंसी का नामः

पताः

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद सम्मिलित हैं, में दैनिक आधार पर किराए पर लेने के लिए

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	दर 8 घंटे/80 किमी	दर 10 घंटे/100किमी	अतिरिक्त घंटे (प्रति घंटे)	अतिरिक्त किमी (प्रति किमी)	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	हैचबैक कारें जैसे इंडिका/वैगन-आर/ईटिओस					
2	सेडान कारें जैसे-एसएक्स4/डिज़ायर(वीएक्सआई/वीडीआई)/ ईटिओस (वी/वीडी) /होंडा अमेज (एस)					
3	एसयूवी जैसे इनोवा (जी)/ट्रावीरा, इत्यादि					
4	बस (2x2)/मिनी कोच/टेम्पो ट्रेवेलर					

ख. उपर्युक्त"क" के अंतर्गत दिए गए स्थानों के अलावा शहर के बाहर यात्रा हेतु दैनिक आधार पर किराए पर लेने के लिए

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	शहर के बाहर उपयोग हेतु दर (200किमी के लिए) (कर को छोड़कर)	200 किमी के बाद प्रति किमी दर	चालक भत्ता, इत्यादि, यदि कोई हो	अन्य भत्ता, यदि कोई हो	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	हैचबैक कारें जैसे इंडिका/वैगन-आर/ईटिओस					

2	सेडान कारें जैसे- एसएक्स4/डिज़ायर(वीएक्सआई/ वीडीआई)/ ईटिओस (वी/वीडी) /होंडा अमेज (एस)/सीआईएजेड					
3	एसयूवी जैसे इनोवा (जी)/ट्रावीरा, इत्यादि					
4	बस (2x2)/मिनी कोच/टेम्पो ट्रेवेलर					

10. प्रमाणित किया जाता है कि दरों का उल्लेख करते समय सामान्य रूप से निविदा सूचना में दिए गए निबंधनों और शर्तें और विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है:-

(क) ड्यूटी प्वाइंट संसदीय ज्ञानपीठ के गेट सं. . . . . . (गुरूद्वारा रकाबगंज के सामने) या संसद भवन/संसदीय सौध; या समय-समय पर बताए गए अन्य स्थान होंगे तथा माइलेज एवं समय की गणना ड्यूटी प्वाइंट से की जाएंगी, जहां से अधिकारी/प्रभाग के साथ कार/बस/मिनी बस/टेम्पो ट्रेवेलर को कार्य पर लगाया गया है ।

(ख) उल्लेख की गई दरों में सेवा कर सम्मिलित नहीं है ।

एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम . . . .

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम/धारित पद;